बिन्दु क्र. (5) का निराकरण

कार्यालय, तहसीलदार , तहसील खालवा

जिला – खंडवा (म.प्र)

पत्र क्र. 1078 / खालवा , दिनांक 19/07/ 2017

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आंवलिया मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने वाले राजस्व ग्रामों रोशनी , पिपलिया भोजू , बाराकुण्ड एवं भोजूढाना के अंतर्गत शासकीय भूमि में बडे झाड़ एवं छोटे झाड़ के जंगल का रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है ।

अतः शासकीय राजस्व भूमि में बड़े झाड़ एवं छोटे झाड़ के जंगल का क्षेत्रफल शून्य माना जावें ।

यह प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग खालवा के पत्र क्र 299 / कार्य / आंवलिया / 2017 दिनांक 18 / 7 / 2017 के संदर्भ में दी गई जानकारी के आधार पर तथा मेरे सत्यापन उपरांत जारी किया गया ।

स्थान : खालवा

दिनांक : 19 / 07 / 2017

तहसीलदार

तहसील खालवा

जिला खंडवा (म प्र)

रविन्द्र मौर्य
पटवारी
प.ह.नं. 64 भोजूढाना एवं पिपलिया भोजू

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग खण्डवा

प.ह.नं. 64

पटवारी
प.ह.नं. 64 बाराकुण्ड

(सुनील कुमार वर्मा)
पटवारी
ह. नं. 64

तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी खालवा

जारी करने वाली शाखा भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
Issuing Branch:CIVIL LINES,KHANDWA
कोड क्र /CODE No: 04092
Tel No. 0733-2223745

बैंकर्स चैक
BANKERS CHEQUE

Key: YUMCUZ
Sr. No: 532818

0	7	1	2	2	0	1	7
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

PAY VAN MANDAL ADHIKARISAMANYAVANM ANDAL KHANDWA****************** को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES Eight Thousand Five Hundred Only

अदा करें ₹ 8500.00

IOI 000461589303 Key: YUMCUZ Sr. No: 532818 AMOUNT BELOW 8501(8/4)

कृते भारतीय स्टेट बैंक
For STATE BANK OF INDIA

अहस्तांतरणीय / NOT TRANSFERABLE

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

महेश वामनकर
Mahesh Vamankar
V-4015
शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

9 7 6 5 4 3 2 1

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

MADRAS SECURITY PRINTERS PVT. LTD., CHENNAI / CTS - 2010

⑈589303⑈ 000002000⑆ 000461⑈ 16

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा

पत्र कं. 3991.....कार्य–1/आंवलिया वन प्रस्ताव / खण्डवा, दिनांक 7 /12/2017

प्रति,

वन संरक्षक,
वन मण्डल सामान्य,
खण्डवा

विषय :– **आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित 54.60 हेक्टर वनभूमि हेतु वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उपयोग हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति क संबंध में प्रस्ताव कं. FP/MP/IRRG/ 29552/2017**

संदर्भ :– आपका पत्र कं. मा.चि./ऑनलाईन/2017/3893/दिनांक 17.11.2017

00000

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावित 54.60 हेक्टर वनभूमि के वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उपयोग हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति बाबत् उठाये गये बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार है :–

बिन्दु कं. 1 :– वन एवं राजस्व वनभूमि का स्थल पर सीमांकन किया जाकर संयुक्त निरीक्षण आपके द्वारा दिनांक 25.11.2017 को किया गया।

बिन्दु कं. 2 :– प्रभावित वनभूमि 54.60 हेक्टर का कक्षवार विवरण निम्नानुसार है:–

स.कं.	कक्ष का नाम/वनभूमि	कक्ष कमांक	वनभूमि	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	आंवलिया	513 ए	26.37	राजस्व वनभूमि निरंक है।
2.	आंवलिया	513 बी	28.23	–"–

बिन्दु कं. 3 :– इस कार्यालय के पत्र कं. 3735/कार्य/वन प्रकरण/दिनांक 14.11. 2017 वन प्रकरण के साथ संलग्न पंचनामा की छाया प्रेषित है।

बिन्दु कं. 4 :– प्रस्तावित योजना एवं प्रभावित क्षेत्र की JPEG इमेज एवं KML फाईल 50 KB से कम की संलग्न है।

बिन्दु कं. 5 :– प्रस्तावित योजना में राजस्व वन भूमि, छोटे बड़े झाड का जंगल मद की भूमि प्रभावित नही हो रहीं है। तहसीलदार खालवा का प्रतिवेदन संलग्न है।

बिन्दु कं. 6 :– वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई सुरगांव निपानी की 54.60 हेक्टर में से अतिकमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त किये जाने हेतु राजस्व विभाग को प्रेशित् पत्र की प्रति पत्र कं. 425/आंवलिया मध्यम परियोजना/खालवा /दिनांक 23.11.2017 संलग्न है।

बिन्दु कं. 7 :– वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जा रहीं राजस्व भूमि 54.60 हेक्टर का राजस्व मानचित्र (कम्प्यूटराईज्ड) संलग्न है।

बिन्दु कं. 8 :– भारतीय स्टेट बैंक के ड्राफ्ट कं. 589303 .दिनांक 7.12.2017 राशि रू. 8500/–.संलग्न है।

(एस0एम0चतुर्वेदी)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
खण्डवा

पृष्ठा0 कं. 6000 कार्य–1/आंवलिया वन प्रस्ताव /खण्डवा, दिनांक 7 /12/17

<u>प्रतिलिपि</u>:–

1. मुख्य वनसंरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर, जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
खण्डवा